


दिनांक हुकम	कार्यवाही
20-2-18	<p>पत्रावली पेश हुयी । उभयपक्षों के अनुपस्थित काले ।  न्यायालय समय में कर-2 अर्थात् दी गयी छिद्र भी अनुपस्थित  रही । पत्रावली का अन्तर्गत किया गया । आदेशिका  दिनांक 20-2-17 को वारीशन को अद्य प्रतिवर्दीकरण के  समय तलफाता पेश करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु  दिनांक 27-3-17, 17-4-17, 2-9-17, 1-10-17,  27-11-17 व 2-11-18 को पर्याप्त अवसर दिये जाने  के बावजूद भी तलफाता पेश न कर न्यायालय  को उभर जाया किया है। अतः न्यायालय अर्धी के  वद्वे को अनर्गत कौशिल्य 9 नियम 3 व 5 के अ  धीधी. के तहत वारिज प्रेष्य मातरा है ।  कारण वार वारिज किया जाता है पत्रावली के तल  कुमार हे नम्वर के वद्वे की जाफरत दाखिल  करा है । हुनाया गया ।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपस्थित न्यायाधीश</b>  <b>न्यायालय (0)</b> </p>

